तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं.1 व 3
श्री वी0पी0सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 सं. 2

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–4–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी झालावाड के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा आतरी तहसील झालरापाटन की आराजी गत खसरा नंबर 200 रकबा 10 बीधा, 189 रकबा 10 बीधा आराजी पर अपीलांट वादी का पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है। खसरा नंबर 200 की 20 बीधा भूमि अपीलांट को दिनांक 29–9–64 को आवंटित हुई तथा खसरा नबंर 189 रकबा 10 बीधा भूमि अपीलांट के पुराने कब्जे के आधार पर दिनांक 25–7–72 को नियमित की गई। दौराने सेटलमेंट विवादित आराजी अपीलार्थी के खाते से निकाल कर वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई। वादी उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने एवं रिकोर्ड दुरूस्ती के अधिकारी है। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी ने उभय पक्ष को सुन कर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–7–04 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट् ने प्रथम अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी झालावाड के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26–4–05 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परे है। विवादित आराजी का आवंटन अपीलार्थी वादी को नियमानुसार किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है तथा कब्जा पिछले 50 वर्षो से निरंतर चला आ रहा है। दखलनामा पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। अपीलार्थी को बिना नोटिस एवं सूचना दिये उसके खाते की आराजी वन विभाग के नाम दर्ज करने का अधिकार सेटलमेंट को नहीं है। कृषि भूमि की किस्म बदलकर जंगलात नहीं की जा सकती। अपीलार्थी के पक्ष में नियमन आदेश उपखंड अधिकारी द्वारा ही दिया गया था अब वह उसे निरस्त नहीं कर सकते। वक्त आवंटन विवादित आराजी काबिल काश्त बताई जाकर आवंटन व नियमन किया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को उसके समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन, परिशीलन एवं विवेचन विश्लेषण करते हुये विधि अनुसार निष्कर्ष दिया जाना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है। विवादित आराजी धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबंधित है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत लिखित बहस के साथ पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी वादी ने द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि ग्राम किशनपुरा आतरी तहसील झालरापाटन की आराजी गत खसरा नंबर 200 की 20 बीधा भूमि अपीलांट को दिनांक 29–9–64 को आवंटित हुई तथा गत खसरा नबंर 189 रकबा 10 बीधा भूमि अपीलांट के पुराने कब्जे के आधार पर दिनांक 25–7–72 को नियमित की गई, जिसे बंदोबस्त विभाग ने गलत रूपसे वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया। परीक्षण न्यायालय में विवादित खसरा नंबर के सबंध में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 अनुसार यह निष्कर्ष व्यक्त किया है कि साबिक खसरा नंबर 189 तथा 200 का रकबा 10 बीधा एवं 20 बीधा न होकर 7 बीधा 12 बिस्वा तथा 18 बीधा 7 बिस्वा है जो कि अपीलार्थी को हुये आवंटित/नियमन रकबे से भिन्न	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत् आराजियात वर्ष 1961 में ही वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी। अतः ऐसी अवस्था में पश्चातवर्ती वर्षो में उक्त भूमि का अपीलांट के पक्ष में आवंटन/नियमन का कोई वैद्यानिक महत्व नहीं था। वन विभाग की ओर से प्रस्तुत 19–1–61 की अधिसूचना के अनुसार विवादित खसरा नंबर वन विभाग की खातेदारी में दर्ज है तथा जिला वन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 189 एवं 200 से कई खसरा नंबर बने है। जिनमें प्रार्थी को आवंटित/नियमित खसरा नंबर 244 एवं 261 भी शामील है जो कि रेस्पोडेंट वन विभाग के नाम वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी में दर्ज है तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वन विभाग की भूमि होने से प्रतिबंधित भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। जमाबंदी संवत् 2021–2024 अनुसार साबिक खसरा नंबर 189 रकबा 45 बीधा 18 बिस्वा तथा खसरा नंबर 200 रकबा 52 बीधा 10 बिस्वा भी वन विभाग की खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक अपीलार्थी के इस कथन को कोई बल नहीं मिलता कि सेटलमेंट द्वारा विवादित भूमि को वन विभाग की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया वरन सेटलमेंट विभाग द्वारा पुरानी प्रविष्टियों को ही दोहराया है। इसके अतिरिक्त वन विभाग की भूमि के सबंध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयो ने उभय पक्ष को सुन कर राजस्व अभिलेख के आधार पर तनकीवार विवेचन व विश्लेषण करते हुये वादी अपीलार्थीगण का वाद नियमानुसार सही खारिज किया है। हमारी सुविचारित राय में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण हमारे समक्ष दौराने बहस ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं कर पाये जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (आर.के.जायसवाल) सदस्य (मुकेश कुमार शर्मा) अध्यक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए